"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 201] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 18 मई 2017 —— वैशाख 28, शक 1939

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 17 मई 2017

अधिसूचना

क्रमांक 5498/वि. स./स्था./2017. —— सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 28 की द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अध्यक्ष विधान सभा, छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (अपील) नियम, 2017 है.

    (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

2. **परिभाषाएं** - इन नियमों में जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो :-

    (क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005)

    (ख) **"धारा"** से अभिप्रेत है उक्त अधिनियम की धारा,

    (ग) **"गरीबी रेखा के नीचे"** से अभिप्रेत है, कि छत्तीसगढ़ सरकार के वह नागरिक जिन्हें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे का होना घोषित किया गया है,

    (घ) **"फीस"** से अभिप्रेत है, अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत देय शुल्क,

    (ङ) शब्दों एवं अभिव्यक्तियों जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं है, उनके वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिये गए हैं.

3. **प्रथम अपील** - (1) यदि कोई व्यक्ति धारा-7 की उपधारा (1) अथवा उपधारा (3) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर निश्चय प्राप्त नहीं करता है या प्राप्त नहीं होता है अथवा लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित है, वह ऐसी कालावधि के व्यतीत होने के तीस दिवस के भीतर अथवा ऐसे निश्चय के प्राप्ति के तीस दिवस के भीतर लोक सूचना अधिकारी के, वरिष्ठ अपीलीय अधिकारी को अपील के ज्ञापन के साथ 500/- (यदि अपील आदेश डाक द्वारा चाही गई हो तो रु. 750/-) का शुल्क नगद या ज्युडिशियल स्टाम्प के साथ प्रस्तुत कर सकेगा, परन्तु यह कि ऐसा अपीलीय अधिकारी तीस दिवस का कालावधि के पश्चात् भी अपील सुनवाई के लिए ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से अपील समयावधि में प्रस्तुत करने में विफल रहा है.

(2) अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम व पता, जन सूचना अधिकारी का नाम तथा पदनाम, जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना न देने अथवा अपूर्ण अथवा भ्रामक जानकारी देने अथवा फीस का भुगतान करने के आदेशों का अथवा समयावधि में जानकारी न देने का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा.

(3) अपील की सुनवाई हेतु अपीलीय अधिकारी संबंधित जन सूचना अधिकारी को कम से कम 7 दिवस का नोटिस देगा.

(4) उपनियम (1) के अंतर्गत अपील प्राप्त किये जाने से तीस दिवस के भीतर या ऐसी बढ़ाई गयी कालावधि के भीतर जो अपील फाइल करने की तारीख से कुल मिलाकर पैंतालिस दिवस से अधिक नहीं हो, यथास्थिति लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए निपटाई जाएगी.

(5) अपील में पारित आदेश की प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदाय की जाएगी.

अध्यक्ष के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.